

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/एसीपी/जयपुर-जोन/एफ.22157/2024/

दिनांक:

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 व एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 27.02.2022 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट जयपुर दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री राजेश यादव, वरिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 08.06.2005 है, को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एमएसीपी के अन्तर्गत दिनांक 08.06.2023 से पे मेट्रिक्स के लेवल-10 में द्वितीय एसीपी स्वीकृत की जाती है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/एसीपी/जयपुर-जोन/एफ.22157/2024/478

दिनांक: 2/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।
2. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अवलोड करें।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

RajKaj Ref
4619384

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :02-05-2024 03:40:20